सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 4 | 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 | मुख्य संपादकः कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर चार काले श्रम कोडों के खिलाफ 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल हुई सफल

देशभर में सड़कों पर उतरे मेहनतकश

मजदूर-विरोधी चार काले लेबर कोडों को निरस्त कर खत्म किये गये 29 श्रम कानूनों को मजदूरों के हित में और भी समृद्ध करके बहाल करने, बिजली (संशोधन) विधेयक वापस लेने, वीबी-जीरामजी कानून निरस्त करने, बीज विधेयक वापस लेने, निजीकरण, ठेकाकरण, आउटसोर्स पर लगाम लगाने, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने आदि मांगों को लेकर एआईयूटीयूसी सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारियों की विभिन्न ऑल इंडिया फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त आह्वान पर और संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा समर्थित 12 फरवरी को हुई देशव्यापी आम हड़ताल पूरी तरह सफल हुई। देशभर में मजदूर-कर्मचारी सड़कों पर उतरे और जनसभाएं आयोजित हुईं। इसकी अब तक प्राप्त खबरें यहां प्रकाशित की जा रही हैं।

पटना (बिहार) : 12 फरवरी को ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर का एक सुसज्जित जुलूस दिनकर गोलंबर से नाला रोड, हिंदी साहित्य सम्मेलन, पीर मोहनी, भट्टाचार्य रोड होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचा, जहां एआईयूटीयूसी के साथ-साथ इंटक, एटक, सीटू, ऐक्टू, सेवा आदि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का समावेश हुआ। इसमें एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश के मेहनतकश लोग सत्तारूढ़ पूंजीपति वर्ग और एक के बाद एक उसकी ताबेदार सरकारों के बढ़ते फासीवादी हमलों का सामना कर रहे हैं, खासकर मौजूदा भाजपा सरकार ने ये हमले और

(शेष पृष्ठ 5 पर)

देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने पर एआईयूटीयूसी ने देश के मेहनतकशों को दी बधाई

नई दिल्ली : देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए देश के मेहनतकशों को बधाई देते हुए एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 12 फरवरी को जारी प्रेस बयान में कहा:

"एआईयूटीयूसी समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न ऑल इंडिया फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त आह्वान पर हुई देशव्यापी आम हड़ताल को पूरी तरह सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की अखिल भारतीय कमेटी देश के मेहनतकशों को बधाई देती है। मजदूर-विरोधी, जनविरोधी और एकाधिकारी पूंजीपति परस्त 4 काले लेबर कोड पूरी तरह खत्म करने की मांग को लेकर 12 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चे (एसकेएम) और खेती-बाड़ी से जुड़े लोगों की विभिन्न यूनियनों ने तहेदिल से समर्थन किया।

ज्यादातर औद्योगिक संस्थान, बैंक, बीमा कार्यालय बंद रहे। केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों में हाजिरी बहुत कम रही, ज्यादातर राज्यों में सड़क परिवहन रुक गया और दुकानें बंद रहीं। देशव्यापी आम हड़ताल में असंगठित क्षेत्र के मजदूर और स्कीम वर्कर भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। ज्यादातर शिक्षा संस्थान बंद रहे, सिवाय उन संस्थानों के जहां परीक्षाएं चल रही थीं। पूरे देश में जनसमर्थन स्वत:स्फूर्त और जबरदस्त था।

एआईयूटीयूसी की अखिल भारतीय कमेटी आम हड़ताल को नाकाम करने के लिए विभिन्न जगहों पर सरकारी मशीनरी की जोर-जबरदस्ती की कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है। हम विभिन्न राज्यों में कई ट्रेड यूनियन नेताओं समेत गिरफ्तार किये गए लोगों की तुरंत रिहाई की मांग करते हैं।

एआईयूटीयूसी की अखिल भारतीय कमेटी भाजपा-नीत केंद्र सरकार से जोरदार मांग करती है कि आज आम लोगों द्वारा लेबर कोडों को साफ तौर पर नकारने के बाद मजदूर-विरोधी और एकाधिकारी पूंजीपति परस्त लेबर कोडों को तुरंत वापस ले और मुश्किल से हासिल किये गए 29 खत्म किए गए लेबर कानूनों को तुरंत बहाल करे।

एआईयूटीयूसी की अखिल भारतीय कमेटी देश के मेहनतकशों से अपील करती है कि वे इन कठोर लेबर कोडों को थोपने के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज रूप में तब तक जारी रखें जब तक कि घमंडी सरकार इन्हें पूरी तरह से वापस नहीं ले लेती।"

भारत-अमेरिका व्यापार सौदा- भारतीय किसानों को मुश्किल में डालने वाला

किसान-मजदूरों और सभी तबकों के मेहनतकशों से इस जनविरोधी, किसान-विरोधी व्यापार सौदे का विरोध करने की एआईकेकेएमएस ने की अपील

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने 4 फरवरी, 2026 को जारी प्रेस बयान में कहा:

खबर आ रही है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, जो एक साल से ज्यादा समय से रुका हुआ था, उसे 3 फरवरी, 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह समझौता संसद में किसान-विरोधी, जनविरोधी और कॉर्पोरेट-परस्त केंद्रीय बजट पेश होने के ठीक बाद हुआ है। विडंबना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा ऐसे मौके पर की है, जब संसद का सत्र चल रहा था। इसका भारत, खासकर भारत के किसान समुदाय पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अभी तक अमेरिका के साथ हुए अंतिम समझौते के बारे में देश के सामने कोई घोषणा नहीं की है। केंद्र की भाजपा-नीत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते के बारे में केवल संक्षिप्त जानकारी दी है।

ट्रंप और अमेरिका के उच्च अधिकारियों की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा और इसे वेनेजुएला से खरीदेगा। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के नाम पर ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया था, उसे घटाकर अमेरिका में भारत से आयातित सामान पर टैरिफ 18% कर दिया जाएगा। भारत में आयातित अमेरिकी सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अमेरिका का दावा है कि भारत अमेरिका से आयातित सामानों पर टैरिफ और दूसरे गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य कर देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने साढ़े 45 लाख करोड़ रुपये का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है।

किसानों को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले दूसरे कुछ और भी बिन्दु हैं। वे हैं: भारत ने मक्का और आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन सहित अमेरिकी कृषि उत्पादों तक और ज्यादा पहुंच प्रदान करने

(शेष पृष्ठ 6 पर)

विद्यालय छोड़ने वालों का दर्दनाक नजारा

सन् 2015 को याद करें, जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली थी। कैमरा हरियाणा के पानीपत में घुमायें। पर्दे पर प्रधानमंत्री मोदी लड़कियों, खासकर बच्चियों की देखभाल करने के अपने सपने के बारे में बातें करते हुए दिख जायेंगे। "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" (लड़कियों को शिक्षित करो, लड़कियों को बचाओ)—यह एक ऐसा लुभावना नारा था, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बच्चियों के प्रति अपनी चिंता का इजहार करने के लिए इस्तेमाल में लाने हेतु गढ़ा था। तब से, इसे अनगिनत बार दोहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नागरिकों से बच्चियों के साथ स्वयं की तस्वीरें लेने का भी निवेदन किया था।

अपने ऑनलाइन (संचार माध्यमों के जरिये प्रसारित) व्याख्यान 'मन की बात' के दौरान वे अक्सर बच्चियों के जन्म की संख्या में कमी पर गहरी चिंता जताते हुए महिलाओं को मजबूत बनाने का वादा करते हुए और किशोरियों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, जब हम पिछले 11 सालों की प्रगति पंजिका खोलते हैं, तो हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह नारा कोरा गल्प है। हम फिलहाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज के लिए हत्या, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या के सबसे भयावह आंकड़ों को छोड़ देते हैं, जो भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते कई तरह के अत्याचारों के सबूत हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के "बेटी बचाओ" नारे के बिल्कुल उलट बात है और "बेटी पढ़ाओ" के नजारे पर आते हैं।

आइये, हम विद्यालयी शिक्षा के संबंध में कुछ मौजूद आंकड़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। संसद में, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ने पिछले दिसंबर में कहा था कि पिछले पांच वर्षों में 65.7 लाख बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया है और उनमें से लगभग आधे—29.8 लाख—किशोरवय लड़कियां थीं। यह आधिकारिक आंकड़ा है। यह स्वीकार कर लेने की सभी वजहें हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट साथी अक्सर 'डबल इंजन सरकार' की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों दोनों में भाजपा सरकारें। उनका मानना है कि ऐसे डबल इंजन देश में तरक्की और खुशहाली की रफ्तार को तेज करेंगे। लेकिन जहां तक "बेटी पढ़ाओ" की बात है, डबल इंजन के आंकड़े बहुत ही निम्नस्तरीय हैं। अकेले 2025-26 में, गुजरात में 2.4 लाख बच्चों ने विद्यालय छोड़ा है। इनमें से 1.1 लाख लड़कियां हैं। जबकि 2024 में, दस्तावेजों के अनुसार विद्यालय

(शेष पृष्ठ 2 पर)

विद्यालय छोड़ने...

(पृष्ठ 1 का शेष)

छोड़ने का आंकड़ा सिर्फ 54,541 था। दूसरे शब्दों में, गुजरात जैसे ऊंचे-दर्जे के राज्य में सिर्फ एक साल में यह संख्या 340% बढ़ गई है। असम में विद्यालय छोड़ने का आंकड़ा 1,50,906 बताया गया है, जिसमें 57,409 लड़कियां हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 99,218 विद्यालय छोड़ने वालों में से 56,462 लड़कियां हैं। तो, विद्यालय-विरति (विद्यालय ड्रॉपऑउट) में डबल इंजन वाले राज्य पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, जिनमें लड़कियों की एक बड़ी संख्या है। अगर प्रदर्शन ऐसा है, तो राज्यों को किस तरह के इंजन खींच रहे हैं?

इतनी सारी लड़कियां समय से पहले ही विद्यालय क्यों छोड़ रही हैं? सरकारी विवरणों और उनसे जुड़े अध्ययनों के मुताबिक, विद्यालय छोड़ने की मुख्य वजहों में गरीबी (बच्चों का मजदूरी करना/जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जाना), दिलचस्पी/प्रेरणा की कमी, विद्यालय की खराब गुणवत्ता और आधारभूत संरचना, सामाजिक व सांस्कृतिक वजहें (जैसे लिंग पक्षपात, जल्दी शादी), विस्थापन और माता-पिता का कम रुचि लेना/मदद करना, साथ ही परामर्शदाताओं की कमी और विकलांगता-सहायता जैसी दिक्कतें भी काफी हद तक शामिल हैं। हमें सरकार की तरफ से वह जानकारी मिलने में खुशी हुई, जिसे कि हम सब पहले से ही जानते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस स्थिति का समाधान निकालेगी।

नहीं, सरकार इन बातों को नहीं भूली है, बल्कि उसने इन्हें ठीक करने के तमाम हथकंडे अपनाये हैं। उदाहरण के लिए, जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 50% से कम हो रही है, उन्हें बंद करके दूसरे विद्यालय के साथ समायोजित (विलयित) कर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे "विलयन-समापन" का परिणाम क्या होता है? इससे विद्यालय घनत्व (प्रति वर्ग मील/किलोमीटर विद्यालयों की संख्या) कम हो जाती है और दो विद्यालयों के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम इस बढ़ती दूरी की चर्चा करें, आइये, सबसे खतरनाक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-20) में निर्धारित "विलयन-समापन" नीति के नतीजों पर एक नजर डालते हैं।

इस 'विलयन-समापन' का परिदृश्य क्या है? कुछ दिन पहले, उत्तर प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनके राज्य में 27,000 विद्यालय बंद करके दूसरे विद्यालयों के साथ समायोजित किये जायेंगे। ये संख्याएं हैं राजस्थान में 19,500, महाराष्ट्र में 15,000, पश्चिम बंगाल में 8,207, गुजरात में 7,000, छत्तीसगढ़ में 6,040, असम में 5,953 और कर्नाटक में 3,400। सभी राज्य सरकारें, चाहे किसी भी रंग के झण्डे वाली पार्टी की हों, विद्यालय बंद करने को लेकर एक-दूसरे से प्रतिद्वंद्विता कर रही हैं। इसके बावजूद देश 'विश्वगुरु' बनेगा, जैसा कि एनईपी-20 में दावा किया गया है।

कर्नाटक सरकार कई मौजूदा ग्रामीण-विद्यालयों को मिलाकर उनकी जगह करीब 6,000 केपीएस कर्षक-विद्यालय (KPS Magnet School) बनाने का प्लान बना रही है, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक विद्यालय होगा। पहले चरण में, 900 कर्षक-विद्यालय बनाने के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। परिपत्र में कहा गया है कि एक से पांच किलोमीटर के दायरे में मौजूद विद्यालयों को इन केंद्रों में मिला दिया जाएगा। यह शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) का खुला उल्लंघन है, जिसमें हर बच्चे के रहने की जगह से ठीक-ठाक पैदल दूरी (आमतौर पर प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर और उच्चतर प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर) के अंदर एक विद्यालय बनाने की बात कही गई है, ताकि भौगोलिक पहुंच पक्की हो सके-जो सबको शिक्षा की आश्वस्ति के लिए जरूरी है।

कर्नाटक में कर्षक-विद्यालय योजना को लेकर सर्वत्र विरोध की लहर है। खासकर कर्नाटक के ग्रामीण और अर्ध-नगरीय इलाकों में माता-पिता, स्थानीय निवासियों और शिक्षा-कार्यकताओं, यहां तक कि छात्रों ने भी सरकारी शिक्षा के भविष्य को लेकर गहरी चिंताएं जतायी हैं। केपीएस कर्षक-विद्यालय योजना का मकसद छोटे, अक्सर कम स्रोत वाले सरकारी विद्यालयों के छात्रों को बड़े, केन्द्रीकृत "कर्षक" विद्यालयों में एक साथ लाना है। इन समेकित (Consolidated) विद्यालयों का मकसद बेहतर सुविधाएं देना है, लेकिन ये अक्सर छात्रों के घरों से ज्यादा ही दूर होते हैं। छात्रों को कर्षक-विद्यालय जाने के लिए 10-25 किलोमीटर दूर भी जाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। इससे बच्चों को बहुत मुश्किल होगी, खासकर पश्चिमी कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में। इसलिए कई अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना बंद करने पर मजबूर हो जायेंगे।

इसके अलावा, कई परिवारों में 10-12 साल की बच्चियां, जो कक्षा छह या सात में पढ़ती हैं, वे घर के काम और अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल भी करती हैं। कर्षक-विद्यालय योजना ऐसी बच्चियों की विद्यालय की पढ़ाई में बाधा खड़ी करेगी।

कुल मिलाकर, सरकार के तथाकथित 'विलयन-समापन' के फरमान की वजह से विद्यालय छोड़ने वालों की समस्या और बढ़ जायेगी। लड़कियों के मामले में यह बहुत ही ज्यादा होगा। इसलिए लड़कियों की या तो समय से पहले शादी कर दी जाएगी या उन्हें मजदूरी पर लगा दिया जायेगा या फिर उनकी तस्करी भी हो जायेगी। इसलिए लड़कियां न केवल पढ़ाई से, बल्कि अच्छी जिंदगी से भी दूर कर दी जायेंगी। तो, 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' का नारा एक असरहीन नारा ही साबित हो जायेगा।

न्यायाधीश ने साबित कर दिया कि वे भी नहीं हैं वर्ग-राजनीति से परे

हाल ही में घरेलू सहायकों का न्यूनतम वेतन तय करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में उद्योगों का विकास बाधित करने में श्रमिक संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक संगठनों के कारण देश के न जाने कितने उद्योग बंद हो गए। इन 'झंडा संगठनों' के कारण ही देश में अनेक उद्योग बंद हो गए।

मुख्य न्यायाधीश ने अचानक ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ जहर उगला, इससे समझा जा सकता है कि वे इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि देश में उद्योगों के विकास को बाधित करने में मजदूर संगठन ही जिम्मेदार हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने ये बातें मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी से कही हैं, इसलिए इस बात से केवल उनका सहमत होना ही पर्याप्त नहीं है, उन्होंने किस आधार पर इतना महत्वपूर्ण विषय निर्णय की तरह कह दिया, यह देश के लोगों को भी जानना चाहिए। मजदूर संगठनों के आंदोलन के कारण वास्तव में कोई कारखाना बंद हुआ है या नहीं, अगर हुआ, तो कितने कारखाने बंद हुए हैं और मालिकों ने स्वयं कितने कारखाने बंद किये, बड़े पूंजीपतियों ने कितनी संख्या में छोटे पूंजीपतियों के कारखाने निगल लिए-इस बारे में पर्याप्त जानकारी उनके पास है क्या? अगर है, तो उन्होंने अपने वक्तव्य के आधार के रूप में उसे प्रस्तुत क्यों नहीं किया? नहीं तो किस आधार पर मुख्य न्यायाधीश ने इतनी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह दी?

दरअसल, मुख्य न्यायाधीश की बातें अजीब तरह से इस देश के मालिक वर्ग की बातों से मेल खा रही हैं। मालिक यानी देश का पूंजीपति वर्ग लंबे समय से ठीक यही बातें देशवासियों के सामने प्रचार करता आ रहा है। इन बातों का वास्तविकता या सत्य से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में अगर वे ट्रेड यूनियन, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश ने 'झंडा संगठन' कहा है, संगठित रूप से आंदोलन न करते, तो मजदूरों को उनका वाजिब हक मालिक कभी नहीं देते। मजदूर जो भी आंदोलन करते हैं या हड़ताल करते हैं, वह मजबूरी में ही करते हैं। आश्चर्य की बात है कि मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे हैं, संविधान की रक्षा का अधिकार रखते हैं, वे ही मजदूरों को संविधान द्वारा दिये गए संगठन बनाने के अधिकार को व्यावहारिक रूप से नकार रहे हैं।

पूंजीपति हमेशा ही मजदूरों पर दोष डालकर अपने शोषण के चरित्र को छिपाना चाहते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि न तो मजदूर अपनी मांगें न उठायें और न ही उन मांगों के लिए आन्दोलन करें। नतीजतन, मजदूर वर्ग के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की जहरीली बातों से देश का मालिक वर्ग जितना खुश होगा, उतना ही मालिक वर्ग के राजनीतिक प्रबंधक और सेवक नरेंद्र मोदी भी खुश होंगे। नतीजतन, मालिक वर्ग की 'मन की बात' ही न्यायाधीश की जुबान से निकली है।

हम जानते हैं कि मालिक वर्ग के सर्वोच्च मुनाफे को सुनिश्चित करने के मकसद से श्रमिक वर्ग पर शोषण को और निर्मम बनाने के लिए भाजपा सरकार ने 29 श्रम कानूनों को हटाकर उन्हें 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया है, जहां व्यावहारिक रूप से मजदूरों के संघर्ष से प्राप्त सभी अधिकार छीन लिये गए हैं। दूसरी ओर मालिकों को दिया गया है मजदूरों के शोषण की खुली छूट दी हुई है। आठ घंटे के बजाय 12 घंटे के श्रम काल को कानूनसम्मत बना लिया गया है। मजदूरों के संगठित होने यानी यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकार भी व्यावहारिक रूप से छीन लिये गए हैं।

पिछली सदी में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-विरोधी संयुक्त मोर्चा सरकार की बात कई लोगों को याद होगी। पश्चिम बंगाल में पहले संयुक्त मोर्चे के श्रम मंत्री एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) नेता सुबोध बनजी थे। उन्होंने मंत्री बनकर पार्टी की नीति के अनुसार घोषणा की थी कि न्यायसंगत जनआंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके नतीजतन मजदूरों के न्यायसंगत आंदोलनों पर पहले जो पुलिस दमन होता आया था, वह बंद हुआ। राज्यभर में मजदूरों पर लंबे अर्से से जारी शोषण-जुल्म के खिलाफ आंदोलन की लहर उठी। मालिक वर्ग में हाहाकार मच गया। वे जोर-जोर से प्रचार करने लगे कि मजदूर आंदोलन के कारण एक के बाद एक कारखाना बंद हो रहा है और इससे राज्य का विकास बाधित हो रहा है। उनके द्वारा संचालित समाचारपत्र भी उनकी बातें जोर-शोर से छापने लगे। मालिकों के इस प्रचार से कुछ श्रमिक संगठनों के नेता भी गुमराह हो गए। केवल एआईयूटीयूसी के नेता ही इस धारा के खिलाफ खड़े होकर देशवासियों से कहने लगे कि यह मालिकों का योजनाबद्ध झूठा प्रचार है। मालिक स्वयं कारखाना बंद कर रहे हैं और वह हो रहा है उत्पादित वस्तुओं का बाजार यानी देशवासियों की क्रयशक्ति न होने के कारण। केंद्र सरकार की कर समायोजन नीति भी उस समय राज्य के उद्योग को कमजोर करने का एक कारण थी। राज्य सरकार के तत्कालीन श्रम आयुक्त देवव्रत बनर्जी ने यह आंकड़ा पेश करके कि कितने कारखाने मालिकों ने बंद किए और कितने कारखाने श्रमिक आंदोलन के कारण बंद हुए, दिखाया कि मजदूर आंदोलन के कारण कारखाने बंद नहीं होते, बंद होते हैं बाजार न होने के कारण, मालिकों के लिए उत्पादन लाभकारी न होने के कारण।

एक ओर तो सरकार का मजदूर-विरोधी चरित्र और दूसरी ओर अधिकतर मजदूर संगठनों का समझौतापरस्त चरित्र-इनके कारण मजदूरों पर भयंकर पूंजीवादी शोषण-उत्पीड़न होते हुए भी देश में उल्लेखनीय मजदूर आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा है। छोटे और मझोले उद्योग-धंधों में मजदूरों की यूनियन नहीं के बराबर है। बड़े कारखानों में भी बहुत कम संख्या में मजदूर यूनियन से जुड़े हैं। इस स्थिति में न्यायाधीश ने मजदूर आंदोलन के कारण कारखाने बंद होने की जो बात कही है, वह पूरी तरह असत्य है और कई दशकों से मालिकों द्वारा प्रचारित एक झूठ की पुनरावृत्ति है।

विश्वभर में मालिकों का चरित्र एक ही है-शोषणकारी चरित्र। इसलिए केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मजदूर अपने जायज हक की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रतिष्ठित पूंजीवादी देश कहे जाने वाले यूरोप के देशों में भी मजदूर आंदोलनों की लहर चल रही है। न्यायाधीश की जानकारी में ये सब बातें नहीं होने का कोई कारण नहीं है। फिर भी उन्होंने यह सब बातें क्यों कहीं?

जानबूझकर हो, या अनजाने में, यह बड़ी बात नहीं है, मुख्य न्यायाधीश ने वास्तव में मालिक वर्ग की भाषा ही बोली है। उनके शब्दों में मालिक वर्ग का दृष्टिकोण ही प्रतिबिंबित हुआ है। उन्होंने अपने शब्दों से फिर साबित कर दिया कि न्यायाधीश भी वर्ग-राजनीति से परे नहीं होता है-भले ही वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही क्यों न हो। वर्ग-विभाजित समाज में वर्ग-निरपेक्षता की कोई जगह नहीं है। राज्य के प्रमुख स्तंभ के रूप में पुलिस-प्रशासन, नौकरशाही और सेना के साथ न्यायपालिका का भी उल्लेख किया जाता है, वह कितनी सच है, यह उनके शब्दों से ही साबित हो रहा है। जो लोग सोचते हैं कि राज्य सबका है, वे निश्चित ही मुख्य न्यायाधीश की बात से शिक्षा लेंगे। अगर यह सच होता, अगर यह राज्य मालिक और मजदूर, शोषक और शोषित सबका होता, तो न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मालिक वर्ग के पक्ष में मजदूरों के जीवन-संघर्ष को इस तरह कठघरे में खड़ा नहीं करता।

बहुत पहले ही सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के मार्गदर्शक महान मार्क्स दिखा चुके हैं कि राज्य का अर्थ है वर्ग राज्य। उन्होंने दिखाया है कि राज्य एक वर्ग के हाथ में दूसरे वर्ग को दबाने का औजार है। पूंजीवादी राज्य पूंजीपति वर्ग के हाथ में मजदूर वर्ग यानी मेहनतकशों पर दमन करने का औजार है। स्वाभाविक रूप से पूंजीवादी राज्य की संसद, प्रशासन, न्यायपालिका सब कुछ को पूंजीवादी शासन-शोषण के औजार के रूप में ही गढ़ा गया है। लेकिन वे मुंह से यह बात स्वीकार नहीं करते। वे इसे लोकतांत्रिक यानी सबका राज्य दिखाना चाहते हैं। वास्तव में इस राज्य में लोकतंत्र जो कुछ है, वह मजदूरों का खुला शोषण करने का मालिक वर्ग के लिए लोकतंत्र है। यहां शोषितों के लिए कोई लोकतंत्र नहीं। श्रमिक वर्ग, शोषित वर्ग यानी 99 प्रतिशत लोग लोकतंत्र का अवसर केवल समाजवादी राज्य में ही पाते हैं, जो वास्तव में श्रमिक वर्ग का राज्य होता है।

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश ने घरेलू सहायकों के न्यूनतम वेतन के अधिकार को अपने निर्णय में मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ●

बीज अधिनियम 2025 —भारतीय खेती के पूर्ण निजीकरण का ही एक हिस्सा

पूंजीवादी भारत में किसानों की बढ़ती दुर्दशा और गरीबी से हर कोई वाकिफ है। केंद्र और राज्यों की सरकारें हर मुमकिन तरीके से अपने आका शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों की सेवा करती रही हैं। वे जमीन, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, मार्केटिंग, खरीद सहित भारतीय खेती के हर क्षेत्र में कॉरपोरेट-हितैषी नीतियां अपनाती रही हैं। नतीजतन, करोड़ों किसान भूमिहीन होकर खेतिहर मजदूरों में तब्दील हो गये हैं।

केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया नया बीज विधेयक 2025 भी उसी नीति को जोर-शोर से आगे बढ़ाता है। बीज विधेयक 2025 का मसौदा 12 नवंबर 2025 को पेश किया गया। इस विधेयक के उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं:

1. देश में गुणवत्तापूर्ण बीजों की बिक्री, आयात, निर्यात, उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति की निगरानी के लिए मौजूदा बीज अधिनियम 1966 की प्रणाली की बजाय एक ऐसी विस्तृत नियामक प्रणाली स्थापित करना।

2. किसानों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और उत्पादकों को ऐसी अलग-अलग नियंत्रित इकाइयों के रूप में परिभाषित करना, जिनकी विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होंगी।

3. बीज पर कानूनी पाबंदी का मार्गदर्शन करने के लिए 27-सदस्यीय केंद्रीय बीज समिति और 15-सदस्यीय राज्य बीज समिति का गठन करना।

4. "बीज" को किसी भी तरह के जीवित भ्रूण या प्रजनन अंकुर के रूप में परिभाषित करना, जिसमें पौध, कंद, गोल कंद, भूमिगत तना, जड़ें, कलम, सभी प्रकार के कलमी पौध, ऊतक-संवर्धित पौध, कृत्रिम बीज और अन्य वनस्पतिक रोपण सामग्री शामिल हैं, जो पुन:जनन करने में सक्षम हों और ऐसा पौधा पैदा करती हों, जो अपनी बुनियादी नस्ल के जैसा हो, जबकि संकर बीजों में यह गुण केवल पहली पीढ़ी तक ही सुनिश्चित रहता है। इसमें अनाज, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा फसलें, चारा और चारे की फसलें, हरी खाद, गन्ना, फल, सब्जियां, मसाले, फूल, सजावटी और बागान की फसलें शामिल हैं।

5. केंद्रीय बीज समिति को बीजों के लिए अंकुरण, शुद्धता, गुण, बीज स्वास्थ्य और आनुवंशिक शुद्धता के न्यूनतम मानक सुझाने की शक्ति देना।

6. राज्य बीज समितियों को अपनी-अपनी सरकारों को बीज उत्पादकों, बीज डीलरों, प्रसंस्करण इकाइयों और नर्सरियों के पंजीकरण पर सलाह देने के लिए अधिकृत करना।

7. बीज उत्पादकों, बीज प्रसंस्करण इकाइयों, बीज के थोक विक्रेताओं, वितरकों और पौध नर्सरियों का पंजीकरण अनिवार्य बनाना। सभी बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण और निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना। उदाहरण के लिए, ट्रांसजेनिक बीज किस्मों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

8. एक केंद्रीय मान्यता प्रणाली की अनुमति देना, जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बीज कंपनियों को बिना अलग-अलग लाइसेंस के, कई राज्यों में संचालन की निगरानी करे ताकि व्यवसाय करने में आसानी हो सके।

बीज क्षेत्र की उत्पत्ति और विकास

विधेयक की तफसील में आगे जाने से पहले आइये, आजादी से पहले के समय में बीज क्षेत्र के उद्भव और विकास का जरा जायजा लेते हैं। कृषि उत्पादन का बुनियादी साधन है बीज। बाकी सभी संसाधनों का प्रभाव मुख्यत: बीज की गुणवत्ता से तय होता है। चूंकि भारत मुख्यत: कृषि-प्रधान देश था, इसलिए परम्परागत रूप से बीज की ज्यादातर जरूरतें किसानों के बीच आदान-प्रदान से पूरी होती थीं। इस प्रकार बीज को किसानों की संपत्ति माना जाता था। किसान खुद ही बीज का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण संभालते थे। आजादी के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बिक्री हेतु बीज की गुणवत्ता का नियमन करना शुरू किया।

बीज अधिनियम, 1966

आजादी के बाद बीज क्षेत्र में बीज अधिनियम 1966 पहला कानून बना था। इसमें तीन महत्वपूर्ण प्रावधान थे:

अ) बीज प्रमाणीकरण,

ब) बीज निरीक्षण और

स) बीज परीक्षण।

इनमें से हरेक प्रावधान अपने-आप में महत्वपूर्ण है और साथ ही एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। यह अधिनियम केवल बीज की अधिसूचित किस्मों का ही नियमन करता था। यह 1968 में बीज नियम लागू होने के साथ प्रभावी हुआ। बाद में सरकार ने इसी में 1972, 1973, 1974 और 1978 में संशोधन किये। बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। इस संबंध में 1983 में बीज (नियंत्रण) आदेश भी जारी किया गया, जिसमें थोक बीज विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता, मूल्य नियंत्रण, बीज की आवाजाही पर नियंत्रण और बीज की खरीद-फरोख्त की जानकारी पेश करने जैसे प्रावधान थे।

अदालती मुकदमों की वजह से यह आदेश जुलाई 1994 से ही लागू हो पाया। बीज अधिनियम 1966 ने सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की स्थापना में काफी हद तक योगदान दिया, जिससे देश के विभिन्न भू-जलवायु वाले कृषि क्षेत्रों के हिसाब से नई किस्में विकसित हुईं।

बीज विकास नीति, वैश्वीकरण और डब्ल्यूटीओ के तहत ट्रिप्स (TRIPS)

1988 में नई बीज विकास नीति (एनपीएसडी) की शुरुआत ने भारतीय बीज उद्योग को 'उदार' बनाया। 1980 के आखिरी दशक तक हिंदुस्तान के बीज उद्योग में दो वजहों से निजी क्षेत्र की शिरकत सीमित थी। पहली, उस समय की आर्थिक नीतियां, जो विदेशी पूंजीनिवेश को प्रतिबंधित करती थीं और दूसरी थी लाइसेंसिंग की नीति। फिर ऐसी बीज नीतियां, जो इस क्षेत्र को छोटे उत्पादकों तक सीमित रखती थीं और अनुसंधान या प्रजनक बीजों के आयात को सख्ती से नियंत्रित करती थीं। 1988 की नई बीज नीति के लागू होने पर इसमें से 'लघु उद्योग' वाली सीमा हटाकर बड़ी देशी-विदेशी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई।

1991 में एकाधिकारी पूंजी के हित में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूंजीवादी वैश्वीकरण की नीतियां अपनायीं, औद्योगिक लाइसेंसी प्रणाली खत्म की, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश (एफडीआई) पर लगे प्रतिबंध हटाये और 1994 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार-संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) की शर्तें स्वीकार कर लीं। ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 27.3(ब) के अनुसार, अगर पौध विविधता की रक्षा करनी है, तो उस पर पेटेंट प्राप्त करने होंगे या संरक्षण के लिए 'अपनी तरह की' ('sui generis') एक खास प्रणाली बनानी होगी या फिर दोनों के संयोजन को अपनाना होगा।

सार्वजनिक और निजी बीज क्षेत्र की भूमिका

इसके बाद बीज उद्योग में निजी क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। वर्तमान में बीज उत्पादन या व्यापार में लगी कंपनियों की संख्या लगभग 400 से 500 है। हालांकि निजी बीज कंपनियों का मुख्य ध्यान महंगे और कम मात्रा वाले बीजों पर रहा है। दूसरी ओर, कम मूल्य और अधिक मात्रा वाले बीजों का बाजार अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रभुत्व में है। निजी क्षेत्र, मुख्य रूप से सब्जियों के बीज और बागवानी फसलों, खासकर मक्का, सूरजमुखी और कपास की रोपण सामग्री में प्रमुख है। इसके उलट गेहूं, धान, अन्य अनाज, तिलहन और दलहन जैसी अधिक मात्रा और कम लाभ वाली फसलों के बीज उत्पादन को प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की बीज कंपनियां नियंत्रित करती हैं और आने वाले सालों में भी अनाज, दलहन और तिलहन में सार्वजनिक क्षेत्र की बीज कंपनियां ही प्रमुख बनी रह सकती हैं।

बीज क्षेत्र पर निजी बीज कंपनियों का नियंत्रण

आर्थिक सुधारों और ट्रिप्स की शर्तों पर हस्ताक्षर करने के नतीजतन विदेशी और देशी मूल की नई कंपनियां भारतीय बीज क्षेत्र में उतर गईं और बाजार में होड़ करने लगीं। नई अनुसंधान-प्रधान विदेशी कंपनियों के उतरने से होड़ करने के लिए देशी कंपनियों ने तकनीक में ज्यादा पूंजीनिवेश किया। इससे बीज उत्पादन की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई। लाजिमी तौर पर बीज की कीमत पर इसका असर पड़ा। इसके अलावा, पहले किसान ऐसी किस्मों का इस्तेमाल करता था, जो प्राकृतिक परागण से उपजती थीं और जिनकी फसल से बीज बचाकर वह अगले साल दोबारा इस्तेमाल कर लेता था। लेकिन ऐसी संकर किस्में, जिनकी फसल से बीज बनाने से उपज और गुणवत्ता में भारी कमी आ जाती है, को अपनाने की वजह से किसानों को हर साल बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मार्च 2016 (खंड 21, पृष्ठ 73-88) में प्रकाशित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय घरेलू बीज उद्योग 1988 में 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 2011 में 10,000 करोड़ रुपये का हो गया, जो कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा अत्यधिक परिष्कृत उत्पादन का परिचायक है। भारतीय बीज बाजार में निजी स्वामित्व वाले संकर बीजों की हिस्सेदारी 1988 के 16.66% से बढ़कर 2011 में 60% तक पहुंच गई। 1988 की नई बीज नीति ने भारतीय बीज उद्योग के निजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की और उसे बढ़ावा दिया। नतीजतन, बीज व्यवसाय में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 1984-95 के दौरान 50-60% से बढ़कर 2010 में 80% हो गई।

पीपीवीएफआरए अधिनियम और निजी बीज कंपनियों का उदय

1995 में भारत के डब्ल्यूटीओ पर दस्तखत करने से बीज की नई किस्मों के लिए निजी अनुसंधान और विकास का रास्ता खोलना जरूरी हो गया। भारत में पौध की किस्मों की रक्षा के लिए प्रजनकों, किसानों और ग्राम समुदायों के अधिकारों को समाहित करते हुए पौध की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम (PPVFRA) 2001 बनाया गया। हालांकि निजी बीज कंपनियों के पास पूंजीनिवेश के लिए ज्यादा संसाधन होने की वजह से उन्होंने जल्द ही पौध की किस्मों के संरक्षण का प्रमाणपत्र हासिल किया और 90 प्रतिशत नई किस्मों के लिए जिम्मेदार संकर बीज उत्पादन पर कब्जा कायम कर लिया। इस तरह निजी क्षेत्र ने बढ़े हुए पूंजीनिवेश के जरिये उन्नत तकनीक हासिल करके किसानों को महंगे दामों पर बेहतर बीज खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। नतीजतन, घरेलू रूप से अपने बीजों के उत्पादन, संरक्षण, चयन और आदान-प्रदान करने से किसान वंचित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि भारत में किसानों के सामने अपने अधिकार हासिल करने में कानूनी बाधा से ज्यादा बड़ी तकनीकी बाधा है।

भारतीय किसानों की दुर्दशा

आइये, अब भारतीय किसानों की मौजूदा दुर्दशा पर नजर डालते हैं। बीज जैसे खेती के बुनियादी संसाधनों के लागत खर्च में भारी बढ़ोतरी, डीजल के दामों में आये उछाल के चलते सिंचाई के लागत खर्च में बढ़ोतरी और दूसरी वजहों से पिछले तीन दशकों में कृषि उत्पादन की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इतनी महंगाई की मार झेलने पर भी गरीब किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता है। किसानों को सी$_2$+50% फार्मूले से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएसपी पर सभी फसलों की गारंटीशुदा खरीद की मांग पर केंद्र और सभी राज्यों की पूंजीवादी सरकारों का अडियल रवैया है। इसलिए खेती मेहनतकश किसानों को गुजारे के लायक आमदनी भी नहीं दे रही है। भारी कर्ज में फंसकर और औने-पौने दाम पर पैदावार बेचने को मजबूर होकर कई किसान खुदकुशी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने के लिए खेती छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सांख्यिकी के अनुसार, केवल 2023 में ही 10,783 किसानों ने आत्महत्या की है। अनौपचारिक स्रोतों की मानें, तो पिछले 30 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। चूंकि किसान खेती के प्रमुख हितधारक हैं, इसलिए खेती से संबंधित कानूनों में कोई भी संशोधन करने से पहले किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। बीज संबंधी कानून-कायदों पर भी यही बात लागू होती है।

बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा जा रहा है पूरा कृषि क्षेत्र

दूसरी बातों के साथ-साथ, उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता, नकली या खराब बीजों की वजह से फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की गारंटी आदि से किसान दशकों से महरूम हैं। फिर भी खेती के संसाधनों की खरीद और उपज को उचित दाम पर बेचने जैसे दोनों मामलों में सुधार लाने की बजाय सरकारी मशीनरी को दिन-ब-दिन कमजोर और नाकारा बनाया जा रहा है। कुछ साल पहले निजी बीज कंपनियों द्वारा खराब गुणवत्ता के बीज बेचे जाने की वजह से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आलू और कपास उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सब जानते हैं कि नकली या खराब बीज की आपूर्ति करने वाली इन बड़ी एकाधिकारी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एआईडीएसओ का गुना जिला सम्मेलन सम्पन्न

गुना (मध्य प्रदेश) : प्रदेश के 94000 व गुना जिले के 300 सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति पर रोक लगाने, महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करने की मांग पर छात्र संगठन एआईडीएसओ का 9वां गुना जिला छात्र सम्मेलन 28 जनवरी को संपन्न हुआ।

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एसयूसीआई (सी) ने किया विरोध प्रदर्शन

धमतरी (छत्तीसगढ़): बिजली के स्मार्ट मीटरों, मनरेगा कानून को निरस्त कर लायी गई नई योजना, गरीब बस्तियों को उजाड़ने आदि विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा 29 जनवरी को यहां एक दिवसीय प्रदर्शन कर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), दुर्ग जिला कमेटी ने भी 15 सूत्री मांगों को लेकर यहां 10 फरवरी को जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

बिलासपुर में रेलवे प्रशासन द्वारा इंद्रपुरी बस्ती तोड़ने के खिलाफ 4 फरवरी को बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मोहल्ले से रैली करते हुए डीआरएम ऑफिस व नगर निगम में मोहल्ला बचाने, आवास की सुविधा और उचित मुआवजे की मांग पर ज्ञापन दिया गया। अधिकारियों की ओर से आश्वासन मिला कि मोहल्ले के सभी लोगों को आवास की सुविधा जल्द ही मिलेगी और जब तक आवास नहीं मिल जाता, किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। यह आंदोलन की जीत है।

एआईयूटीयूसी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न

रायपुर (छत्तीसगढ़): 7-8 फरवरी को यहां एआईयूटीयूसी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। शिविर का संचालन एआईयूटीयूसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड के. राधाकृष्ण व राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने किया। एआईयूटीयूसी के राज्य प्रभारी कॉमरेड जैसन मेहर व कॉमरेड विश्वजीत हारोडे भी मंच पर उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपना-अपना वक्तव्य रखा। सबसे पहले सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने यूनियन व उनके द्वारा किये गये मजदूर आंदोलन के संबंध में अपनी-अपनी बात रखी।

साथ ही एआईयूटीयूसी की प्रांतीय तैयारी कमेटी का गठन हुआ, जिसमें संयोजक कॉमरेड विश्वजीत हारोडे, कॉमरेड पद्मा पाटिल, कल्पना चंद, बबीता सोना, ममता एक्का, ऐश्वर्या राय व सलमा बोगा शामिल किये गए।

सभी प्रतिनिधि इस शिविर से बहुत उत्साहित हुए। साथ ही चार लेबर कोडों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 12 फरवरी की हड़ताल सफल करने का संकल्प लिया गया।

भोपाल (मध्य प्रदेश) : एआईयूटीयूसी मध्य प्रदेश राज्य कमेटी द्वारा 31 जनवरी से 1 फरवरी तक दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर का संचालन एआईयूटीयूसी के वरीष्ठ उपाध्यक्ष कॉमरेड स्वपन घोष, उपाध्यक्ष कॉमरेड अरुण कुमार सिंह और अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड समर सिन्हा द्वारा किया गया। शिविर में भोपाल, ग्वालियर, गुना, देवास, अशोकनगर, इंदौर, खण्डवा आदि जिलों से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता शामिल हुए। शिविर में सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये, जिनसे सभी कार्यकर्ता प्रेरित हुए। सभी ने मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देने का संकल्प लिया।

शिविर में आगामी 12 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल को सफल करने की रूपरेखा भी तैयार की गई।

शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शिविर का समापन अंतरास्ट्रीय गीत से हुआ।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से बर्बाद हो जायेगा भारतीय किसान

तोशाम (हरियाणा) : ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने 7 फरवरी को गांव दुल्हड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूतला दहनकर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध जताया।

इस मौके पर संगठन के जिला प्रधान कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी ने आम अवाम और किसान-मजदूरों सहित मेहनतकशों के सभी हिस्सों से इस जनविरोधी, किसान-विरोधी व्यापार समझौते का विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस समझौते के खिलाफ आंदोलन में आने की अपील की। पुतला दहन करने वालों में काफी लोग शामिल थे।

अमरोहा (उ.प्र): भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ एआईकेकेएमएस ने 11 फरवरी को यहां विरोध प्रदर्शन किया।

दुल्हेड़ी

अमरोहा

नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर बाइक जूलूस व जनसभा

पट्टी, प्रतापगढ़ (उ.प्र) : आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा के महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 129वीं जयंती पर एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ और एआईकेकेएमएस की प्रतापगढ़ जिला कमेटियों के संयुक्त आह्वान पर 23 जनवरी को ढकवा बाजार से अमरगढ़, पट्टी नगर पंचायत के बाजार से होते हुए बाइक जुलूस निकाला गया, जो बाबा रामचंद्र नगर बहेलियापर, उड़ैयाडीह मोड़ स्थित एसयूसीआई (सी) पार्टी कार्यालय के प्रांगण में पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गया। इसमें काफी संख्या में छात्र-नौजवानों ने भाग लिया।

जनसभा को संबोधित करते हुए एआईडीवाईओ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कॉमरेड कमलेश मौर्य ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के जीवन-संघर्षों से सीख लेकर उनके क्रांतिकारी विचारों को जन-जन में ले जायें, लोगों को संगठित करें और जन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष तेज करें।

सभा को कॉमरेड प्रवीण विश्वकर्मा, कॉमरेड उमाशंकर यादव, कॉमरेड रमाकांत वर्मा, कॉमरेड आर सी यादव आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड विजयानंद तिवारी ने की और संचालन कॉमरेड यसवंत राव ने किया। कॉमरेड रामकुमार यादव ने क्रांतिकारी व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किये।

बुढ़ापा पेंशन बहाल करने की उठायी मांग

झज्जर

झज्जर (हरियाणा) : बुढ़ापा पेंशन पर लगी तमाम शर्तें हटाने, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये महीना करने तथा प्राइवेट बसों में मिली विद्यार्थियों को छूट और बुजुर्गों का आधा किराया बहाल और सुनिश्चित करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने 18 फरवरी को स्थानीय लघु सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर संगठन के प्रदेश सचिव कॉमरेड जयकरण मांडौठी ने कहा कि सरकार का कहना है कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में सभी स्रोतों से 3 लाख सालाना से अधिक आमदनी वाले बुजुर्ग नागरिक बुढ़ापा पेंशन के पात्र नहीं होंगे। इस नाजायज शर्त से प्रदेश के बहुत बुजुर्गों की पेंशन बंद हो जाएगी। यही नहीं, इसमें रबी व खरीब की फसल अनाज मंडी में बेचकर किसान के खाते में आया पैसा भी शामिल है। सरकार यह नहीं देखती कि बिक्री राशि से लागत खर्च निकालने के बाद किसान को आखिर बचता ही कितना है? कितने ताज्जुब की बात है कि फसल बिक्री की रकम को किसान की विशुद्ध आमदनी मानती है! इसे पारिवारिक आय से जोड़ना एकदम गलत है। एक अन्नदाता किसान और सभ्यता का निर्माता मजदूर पूरी जिंदगी समाज के निर्माण और उत्पादन में खपा देता है, तो उसे बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व बनता है। बुढ़ापा पेंशन पर कोई भी शर्त लगाना सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। बुढ़ापा पेंशन, पेंशन न होकर एक सम्मान भत्ता है, इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। सरकार कानून बनाकर इस पर लगी हुई आमदनी की तमाम शर्तें हटाए। अब तो सरकार ने जनता के दबाव में काटी गई पेंशन जारी कर दी है, लेकिन शर्तें तो बरकरार हैं और कभी भी लागू की जा सकती हैं। सरकार के इस जनविरोधी कदम का डटकर विरोध नहीं किया, तो बुढ़ापा पेंशन को बंद करने के लिए सरकार एक-पर-एक जनविरोधी कदम लेकर आएगी। शर्तें लगाकर बुढ़ापा पेंशन बंद करना बुजुर्गों का अपमान है। सरकार ने इसे बढ़ाने का वायदा किया था परन्तु मात्र 200 रुपये बढ़ाकर इतिश्री कर ली है। सरकार की मिलीभगत से प्राइवेट बस संचालकों ने विद्यार्थियों के बस किराए में छूट और बुजुर्गों का आधा किराया बन्द कर दिया गया है। पहले की तरह इसे बहाल और सुनिश्चित किया जाए।

कुरुक्षेत्र और 18 फरवरी को रेवाड़ी में भी बुढ़ापा पेंशन व प्राइवेट बसों में आधा किराया बहाल करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

रेवाड़ी

राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल सफल...

(पृष्ठ 1 का शेष)

भी आक्रामक रूप से बढ़ा दिये हैं। इन बढ़ते हमलों का प्रतिरोध करने के लिए आज की आम हड़ताल में मेहनतकश सड़कों पर उतरे हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रमिक संगठनों की संयुक्त हड़ताल को सफल बनाने व सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा न करने, बगैर इंसेंटिव काम करवाने, आशाओं का उत्पीड़न रोकने आदि मांगों को लेकर एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध आशा यूनियन दावा के बैनर तले दिल्ली की आशाओं ने दिल्ली विधानसभा पर प्रदर्शन किया।

सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन से जुलूस 'आशा इंसेंटिव फाइल पास करो', 'आशाओं का शोषण खत्म करो' आदि नारे लगाते हुए विधानसभा तक जाने के लिए निकले जुलूस को पुलिस द्वारा ट्रॉमा सेंटर के पास रोक दिया गया। वहां पर जुलूस जनसभा में बदल गया।

सभा को दावा यूनियन की महासचिव उषा ठाकुर, अध्यक्ष शिक्षा राणा, उपाध्यक्ष सुजाता, प्रकाश देवी, सलाहकार सोनू तथा अन्य आशाओं के अलावा एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड मैनेजर चौरसिया, कॉमरेड सतीश पवार, कॉमरेड निर्मल कुमार आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन सरोज ने किया।

सभा के दौरान दावा यूनियन की उपाध्यक्ष सुजाता पांडेय के नेतृत्व में कुसुम और अन्य आशा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और आशा मिशन को ज्ञापन सौंपा।

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ : 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अवसर पर एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध छत्तीसगढ़ मितानिन आशा यूनियन द्वारा जिला बिलासपुर और जिला भाटापारा में प्रदर्शन कर रैली निकालते हुए ज्ञापन सौंपा गया।

12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अवसर पर जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम बिहान सक्रिय महिला संघ एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध यूनियन द्वारा रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

चांडिल, सरायकेला खरसावां (झारखंड): मजदूर-विरोधी चार श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग पर एआईयूटीयूसी सहित 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 12 फरवरी को चांडिल में रैली निकाली गई। इसमें एआईयूटीयूसी, एआईकेकेएमएस और संयुक्त किसान मोर्चा, सरायकेला खरसावां जिला कमेटी शामिल थी।

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) : मुरादाबाद में 12 फरवरी को जिला अधिकारी कार्यालय पर एआईकेकेएमएस व जीविका बचाओ आंदोलन समिति का संयुक्त धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल तथा उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया तथा एसकेएम के देशव्यापी आंदोलन में शामिल होते हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करने, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने, कर्ज मुक्ति करने, बिजली बिल व स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांगों के साथ ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) द्वारा मुरादाबाद महानगर से सटे 11 गांव की 1250 हेक्टेयर बेहद उपजाऊ, बहु फसली जमीन व बेशकीमती भूखंड का अधिग्रहण कर मेगा शिवालिक टाउनशिप खड़ी करने की योजना का कड़ा विरोध किया गया।

साथ ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत फड़ पटरी, फुटपाथ व्यापारियों (स्ट्रीट वेंडर्स) को उजाड़ने की नगर निगम की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए सभी स्ट्रीट वेंडरों को उनके स्थान पर ही कारोबार करने देने, कपूर कंपनी मंडी के उजड़े सब्जी विक्रेताओं को मंडी के स्थान पर पुनः अपनी फडे लगाने देने, उनके कर्ज माफ करने, बुढ़ापा पेंशन देने आदि मांगों को लेकर प्रशासन को मांग पत्र सौंपे गए।

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) : मजदूर-विरोधी

देशभर में निकाले गए जुलूस
धरने-प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित

जौनपुर

गुना

भिवानी

चांडिल

पंखाजूर

भाटापाड़ा

जंतर मंतर, दिल्ली

इंदौर

सरैया

चार श्रम कोड, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण सहित सरकार की अन्य जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एआईयूटीयूसी सहित देश की प्रमुख ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर 12 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में जौनपुर में जुलूस व जनसभा आयोजित की गई। जुलूस की शुरुआत रोडवेज बस अड्डा जौनपुर से की गई, जो जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गई।

जुलूस में ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी, किसान संगठन एआईकेकेएमएस, छात्र संगठन एआईडीएसओ, युवा संगठन एआईडीवाईओ, महिला संगठन एआईएमएसएस के अलावा अन्य संगठनों से सैकड़ों मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान व महिलाएं शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने 'चार लेबर कोडों व नियमों को रद्द करो', 'मजदूरों का न्यूनतम मासिक वेतन 30000 रुपये लागू करो', 'सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण करना बंद करो', 'स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो', 'सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति करो', 'बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर रोक लगाओ', 'सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारण्टी दो', 'बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 रद्द करो', 'नई शिक्षा नीति 2020 रद्द करो', 'सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली क्लोजर-मर्जर पालिसी रद्द करो', 'महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ' आदि जोरदार नारे लगाये।

इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

मध्य प्रदेश : देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशनों के आह्वान पर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 12 फरवरी की आम हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। मजदूर-कर्मचारियों ने इस हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अलीराजपुर में एआईयूटीयूसी से संबद्ध मध्य प्रदेश आशा एवं आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में जिले के सभी ब्लॉकों से सैकड़ों आशा कार्यकर्ता रैली में शामिल हुईं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।

गुना में एआईयूटीयूसी सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भवन एवं संनिर्माण वर्कर्स यूनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि जिले में निर्माण मजदूरों के परिचय पत्र बनने की प्रक्रिया आसान की जाए।

ग्वालियर में एआईयूटीयूसी द्वारा एक रैली की गई। ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित धरने में रैली का समापन किया गया। रैली जेएएच ठेका सफाई कर्मचारी यूनियन, ग्वालियर एवं भगतसिंह अखबार हॉकर्स यूनियन से बड़ी संख्या में कामगार शामिल हुए।

भोपाल, इंदौर, देवास और उज्जैन में एआईयूटीयूसी व अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रैलियां में ने एक संयुक्त रैली और धरने-प्रदर्शन किये गये। इनमें एआईयूटीयूसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। अशोकनगर में शहर के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में निर्माण मजदूर शामिल हुए।

भिवानी (हरियाणा) : मजदूर-विरोधी चार लेबर कोडों के खिलाफ एआईयूटीयूसी सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारियों की विभिन्न ऑल इंडिया फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त आह्वान पर और संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा समर्थित देशव्यापी आम हड़ताल में अन्य श्रमिक संगठनों के अलावा एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा, भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों मेहनतकश शामिल हुए। स्थानीय नेहरू पार्क में हुई सभा को एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष और एसयूसीआई (सी) के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड रामफल, एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड राजकुमार बासिया और जिला अध्यक्ष कॉमरेड धर्मवीर सिंह ने संबोधित किया।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

PRGI Regn. No. 43022

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर दिल्ली विधानसभा पर प्रदर्शन

दिल्ली : जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी की ओर से 18 फरवरी को दिल्ली सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन की मुख्य मांगें थीं:

1. दिल्ली में चिंताजनक रूप से गायब हो रहे महिलाओं और बच्चों की जांच के लिए उचित कदम उठाये जाएं। 2. पर्याप्त संख्या में डीटीसी की बसें चलायी जाएं। 3. दिल्ली में पढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाएं।

कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से लोग शामिल हुए। इस दौरान इन मांगों का एक ज्ञापन दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी सौंपा गया

सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ श्रमिकों ने भरी हुंकार

राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल सफल...

(पृष्ठ 5 का शेष)

तावडू, जिला नूह में एआईयूटीयूसी से संबद्ध मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन ने प्रदर्शन किया।

समालखा, जिला पानीपत (हरियाणा): 12 फरवरी को यहां के एआईयूटीयूसी के बैनर तले औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील और आशा आदि स्कीम वर्करों व कर्मचारियों ने आम हड़ताल में हिस्सा लिया। गोल्डन पार्क से माता पुली, बाजार से होते हुए रेलवे स्टेशन, समालखा तक रोष जुलूस निकालकर अपनी मांगों की आवाज बुलंद की।

समालखा: 12 फरवरी को एआईयूटीयूसी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे कारखाना मजदूर और स्कीम वर्कर

मुजफ्फरपुर

गोल्डन पार्क में जुटे प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी, हरियाणा प्रदेश सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश ने कहा कि अंग्रेजों के समय से अब तक मजदूरों की कुर्बानियां से हासिल 29 श्रम कानूनों को मोदी सरकार ने रद्द करके सरमायादार-परस्त चार लेबर कोड बना दिये और उनको देश के मजदूरों पर जबरन लागू करने पर आमादा है। इनसे मजदूरों की स्थायी नौकरी समाप्त होने, कार्य दिवस के घंटे बढ़ने, रात्रि पाली में महिलाओं से ड्यूटी लेने, जब मर्जी काम पर रखने और जब मर्जी हटाने, छंटनी, लेआफ-तालाबंदी करने के रास्ते खुल जाएंगे। उद्योगों की परिभाषा बदलने व स्थायी आदेशों की शर्तें बदलने से अधिकतर श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। मजदूरों के लिए अपनी मांग मनवाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने, यूनियन बनाने, उसे श्रमिकों के हित में चलाने और हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर दिये जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ये लेबर कोड लागू होने से श्रमिकों को वैधानिक तौर पर बिल्कुल निहत्था हो जाने का खतरा है। न्याय पाने के लिए मजदूर सीधे कोर्ट-कचहरी का सहारा नहीं ले पायेंगे। अमेरिका-भारत व्यापार समझौता भारत के कृषि उत्पादों और किसानों के हितों पर बुरा असर डालने वाला है। अगर सरकार ने चार लेबर कोड रद्द करके 29 श्रम कानून बहाल नहीं किये, तो आंदोलन तेज किया जायेगा।

विरोध प्रदर्शन को कॉमरेड राजवीर सिंह, कॉमरेड शेर सिंह, कॉमरेड राममेहर सिंह, कॉमरेड अलियास, कॉमरेड कुसुम पांचाल, कॉमरेड सुरेश, कॉमरेड बलबीर आदि ने भी संबोधित किया।

सोनीपत (हरियाणा): एआईयूटीयूसी, सीटू, इंटक, एटक, कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर कर्मचारी संघ, एआईकेकेएमएस, एआईकेएस, किसान प्रतिष्ठा मंच, नागरिक अधिकार मंच, मजदूर अधिकार संगठन एवं रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेतृत्व में 12 फरवरी को सोनीपत में व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया। नगर निगम परिसर में हजारों की संख्या में मजदूर-कर्मचारियों ने बस अड्डे तक जोरदार जुलूस निकाला गया। पूरे शहर में श्रमिक एकता के नारे गूंजते रहे।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मेहनतकशों की एकता को तोड़ने के लिए जात-पात और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मेहनतकश इन विभाजनकारी प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अधिकार केवल संगठित संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष मंडल में वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड श्रद्धानंद सोलंकी, कॉमरेड बलबीर सिंह एवं देशराज शामिल रहे।

कार्यक्रम का संचालन कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी और सुनीता ने किया।

जिला कैथल के ढांड कस्बा में प्रदर्शनकारियों को एआईकेकेएमएस की तरफ से कॉमरेड बाबूराम ने सम्बोधित किया।

रोहतक (हरियाणा): आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन संबद्ध एआईयूटीयूसी पूरी तरह हड़ताल पर रही।

दिल्ली विधानसभा पर आशाओं का धरना-प्रदर्शन

रोहतक : जुलूस में शामिल आंगनवाड़ी वर्कर

कॉमरेड सुरेश सैनी ने अंतिम सांस ली

कॉमरेड सुरेश कुमार सैनी, जिन्हें क्षेत्र के लोग उनकी स्वाभाविक शैली के कारण सुरेश 'तूफान' के नाम से पुकारते थे, 20 जनवरी को हमेशा के लिए हमसे विदा हो गए। वे 73 साल के थे। वे स्वभाव से एक कलाकार थे। नाटक के जरिए ही वे 1976 में पार्टी के संपर्क में आये थे। उन्होंने त्रिनगर व रामपुरा में पार्टी संगठन को बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई। वे त्रिनगर लोकल कमेटी के एक स्तंभ थे। उन्होंने लोकेलिटी में स्कूल के लिए, नशे के खिलाफ आंदोलन में पार्टी के साथ अनेक लोगों को जोड़ा। वे हर समय लोगों के साथ खड़े रहते थे। लोगों की तकलीफों में उनके साथ खड़े होकर उनकी सहायता करना उनका सहज स्वभाव था।

5 फरवरी को वेस्ट दिल्ली जिला द्वारा कॉमरेड सुरेश कुमार सैनी की याद में एक स्मृति सभा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कॉमरेड्स और आम लोगों ने हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्मृति सभा को मुख्य वक्ता के तौर पर दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा के अलावा कॉमरेड आर.के.शर्मा, कॉमरेड हरीश त्यागी, वेस्ट जिला सचिव कॉमरेड मैनेजर चौरसिया, ईस्ट जिला सचिव कॉमरेड गिरवर सिंह, कॉमरेड प्रकाश देवी के अलावा स्थानीय लोगों ने भी अपने भावपूर्ण विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड सुरेश सैनी कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से आकर्षित होकर पार्टी से जुड़े और अंतिम समय तक पार्टी के लिए कार्यरत रहे। उन्होंने पार्टी के साथ अपने पूरे परिवार को जोड़ा। कॉमरेड सुरेश सैनी अपने अंतिम समय में भी, जब वह चलने-फिरने की स्थिति में नहीं थे, तब भी उनके मन में पार्टी के काम के प्रति चिंता रहती थी।

शुरुआत में सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वहारा के महान नेता, हमारे शिक्षक व पथप्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष, जिनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का निश्चय किया, उन पर रचित गान से स्मृति सभा की शुरुआत की गई।

स्मृति सभा का संचालन वेस्ट जिला सदस्य कॉमरेड नीतू खन्ना ने किया। अंतर्राष्ट्रीय गान से सभा समाप्त की गई।

कॉमरेड सुरेश कुमार सैनी लाल सलाम

भारत-अमेरिकी व्यापार सौदा...

(पृष्ठ 1 का शेष)

की प्रतिबद्धता जतायी है। अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे 1.3 बिलियन डॉलर के कृषि व्यापार घाटे के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका से मिली खबरों से पता चलता है कि भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए भारत के डेयरी क्षेत्र को खोलने से भारतीय डेयरी किसानों को संभावित रूप से सालाना 1.03 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। भारत ने विभिन्न डेयरी उत्पादों पर लगाया हुआ 55% से 81% टैरिफ भारतीय किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच था। इसे अब असल में खत्म किया जा रहा है। इससे अमेरिकी डेयरी उत्पादों की बाढ़ आने का रास्ता खुल जाएगा। अमेरिकी कृषि सचिव ने इस समझौते को एक बड़ी जीत बताया है। इससे भारत के विशाल बाजार में ज्यादा कृषि उत्पाद निर्यात करके ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा।

खबर है कि भारत कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या खत्म करने पर सहमत हो गया है। बादाम और पिस्ता जैसे मेवों के मामले में भारत एक बड़ा बाजार है और 2029 में अमेरिका से आयात 1.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। दालों के मामले में भी अमेरिकी दालों जैसे मसूर और पीली मटर पर 30% का सुरक्षा टैरिफ का मौजूदा रेट कम किया जाएगा या जीरो कर दिया जाएगा। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसका भारतीय किसानों पर क्या असर पड़ा है। सर्व विदित है कि ब्रिटेन के साथ एफईटीए पर हस्ताक्षर होने और उसके बाद कुछ महीने पहले सभी तरह की कपास की इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 0% करने के बाद बाजार में कपास की कीमतें गिर गईं और भारत में कपास उगाने वालों को भारी नुकसान हुआ।

संक्षेप में कहें, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह व्यापार सौदा आम किसानों के हित के लिए बेहद नुकसानदायक है, जिसके खिलाफ लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है।

हम सभी संघर्षरत लोगों, खासकर किसानों से अपील करते हैं कि वे इस घिनौने समझौते का पूरी ताकत और उर्जा के साथ विरोध करने के लिए आगे आएं। ●

असम भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली गई विवादास्पद विडियो को लेकर सीपीडीआरएस ने की राज्य के मुख्यमंत्री को दंड देने की मांग

कोलकाता: असम भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों द्वारा पोस्ट किये गए (और बाद में हटाये गए) एक वीडियो से जुड़े हालिया राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को दिखाया गया है, सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेकुलरिज्म (सीपीडीआरएस) के महासचिव प्रोफेसर कुंचे श्रीधर ने 9 फरवरी 2026 को जारी प्रेस बयान में कहा :

"सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेकुलरिज्म (सीपीडीआरएस) असम भाजपा के सोशल मीडिया खातों पर पोस्ट किए गए उस बेहद चौंकाने वाले और अपमानजनक वीडियो की कड़ी निंदा करता है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री को दीवार पर टंगी मुसलमानों की तस्वीरों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है, जिन पर 'नो मर्सी' (कोई दया नहीं) लिखा है।

इस वीडियो ने व्यापक विवाद और तीव्र विरोध को जन्म दिया है और यह पहले से ही अशांत माहौल में नरसंहार को भड़काने के समान है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) और चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के मद्देनजर पहले ही भय और असुरक्षा में जी रहा है।

भारत के संविधान की शपथ लेने वाले असम राज्य के मुख्यमंत्री के इस कृत्य को बिना दंड के नहीं छोड़ा जा सकता और सीपीडीआरएस देश की न्यायपालिका से अपनी उचित भूमिका निभाने का आग्रह करता है।

सीपीडीआरएस सभी समुदायों के लोगों से हमारे समाज को सांप्रदायिक रूप से विभाजित करने के चल रहे प्रयासों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने की अपील करता है। हम जनता से आह्वान करते हैं कि वे जनता की एकता की रक्षा करें और सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने के नापाक मंसूबों को नाकाम करें।"

प्रोफेसर एस. इरफान हबीब पर हुए शर्मनाक हमले की एआईडीएसओ ने की कड़ी निंदा

नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाषण देने के दौरान प्रोफेसर एस. इरफान हबीब पर हुए शर्मनाक हमले की निंदा करते हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिट की प्रभारी कॉमरेड अद्रिका देवघरिया ने 13 फरवरी को जारी प्रेस बयान में कहा:

"12 फरवरी 2026 को दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में एक सभा में प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब के सार्वजनिक भाषण के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर पानी और डस्टबिन फेंककर हमला किया और इवेंट में धमकी भरे नारे लगाए।

दिल्ली यूनिवर्सिटी और आम तौर पर शैक्षणिक संस्थान खुले विचारों और गहन चर्चा-बहस के लिए एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए। अकादमी आदि जगहें ऐसी जगहें हैं, जहां लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक मूल्यों के आधार पर सोच और विचार विकसित होने चाहिए। मौजूदा सरकार में इसी बुनियाद पर भीषण हमला हो रहा है। जहां भी सोच, सरकार द्वारा उछाले जा रहे विचारों से टकराती है, वहां बोलकर और शारीरिक तौर पर, दोनों तरह से जवाबी हमला होना तय है।

एआईडीएसओ प्रोफेसर हबीब और इस इवेंट के आयोजकों के साथ एकजुटता में खड़ा है। ऐसी धमकियां और हमले हमें अपनी सही आवाज हर गली-मोहल्ले तक पहुंचाने से कभी नहीं रोक सकते। हम पूरी अकादमीय बिरादरी से अपील करते हैं कि वे शिक्षा के लोकतांत्रिक ताने-बाने पर ऐसे लगातार हमलों का विरोध करने के लिए एकजुट हों।"

अमरकंटक विश्वविद्यालय में छात्र के साथ हुई नस्लीय हिंसा की निंदा कर एआईडीएसओ ने की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग

भोपाल (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में असम के 22 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट छात्र के साथ कथित तौर पर नस्लीय भेदभाव के चलते मारपीट की घटना अत्यंत निंदनीय, अमानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इस घटना की निंदा करते हुए मध्य प्रदेश राज्य काउंसिल सचिव कॉमरेड नारायण चंदेल ने 19 जनवरी को जारी प्रेस बयान में कहा कि यह घटना न केवल एक छात्र पर हमला है, बल्कि देश की एकता पर सीधा प्रहार है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की नस्लीय नफरत के कारण निर्मम हत्या कर दी गई। एक के बाद एक सामने आ रही इन घटनाओं से साफ जाहिर है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र आज भी नस्लीय भेदभाव, अपमान और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।

विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान ज्ञान, तर्क, वैज्ञानिक सोच और मानवीय मूल्यों के केंद्र होते हैं। इन्हें सामाजिक समरसता और भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन जब इन्हीं परिसरों में नफरत, संकीर्ण सोच और हिंसा को जगह मिलती है, तो यह शिक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। ऐसी घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान छात्रों को सुरक्षित वातावरण देने में सक्षम हैं? शासक वर्ग इन घटनाओं को रोकने की बजाय इनको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ऐसी ही घटना बैतूल जिले मे हुई है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बनाये जा रहे निर्माणाधीन स्कूल को सरकार ने धार्मिक रंग देकर तोड़ दिया। आजादी के 78 वर्षों बाद भी देश में धार्मिक, जातीय और नस्लीय भेदभाव जारी है, जिसको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है।

एआईडीएसओ यह दोहराता है कि भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग-अलग भाषा-भाषी, अलग-अलग धर्मावलंबी, विभिन्न संस्कृतियों वाले और विभिन्न जातियों और क्षेत्रों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। इसी विविधता में हमारी ताकत है। किसी भी छात्र के साथ उसकी नस्ल, भाषा या क्षेत्र, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव करना देश की एकता को कमजोर करने वाला कृत्य है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हम मांग करते हैं कि पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाए। उक्त छात्र के साथ मारपीट करने के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

एआईडीएसओ छात्रों, शिक्षकों और लोकतांत्रिक चेतना रखने वाले सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे नस्लीय भेदभाव और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें और इंसानियत, समानता व भाईचारे पर आधारित समाज बनाने में अपनी भूमिका निभायें।

बीज विधेयक....

(पृष्ठ 3 का शेष)

कंपनियों के खिलाफ आम किसान कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। यहां तक कि सरकारों ने ऐसी कंपनियों से मुआवजा सुनिश्चित करने या उन्हें उदाहरणमूलक दंड देने की भी कोई कोशिश नहीं की है।

बीज विधेयक 2025 के दूसरे किसान-विरोधी पहलू

आइये, एक बार फिर प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 के कुछ दूसरे अहम पहलुओं पर आयें। इस विधेयक की धारा 2-जेड में 'बीज' की परिभाषा में सभी बीजों और पौधों तथा उनके विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है, जबकि बीज अधिनियम 1966 में केवल कुछ चुनिंदा बीजों को समाहित किया गया था। इसका मायने है कि इस क्षेत्र का विस्तार खेती की दिग्गज कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों के लिए किया जा रहा है। आइंदा विधेयक में खराब बीजों की वजह से फसल खराब होने की हालत में कानूनी रास्ते के अलावा किसानों को मुआवजा देने का कोई सख्त प्रावधान नहीं है। सब जानते हैं कि गरीब किसानों के लिए यह रास्ता आसान नहीं है। पहले जहां किसान खुद के स्तर पर कुछ बीज बचाने और साझा करने का काम कर सकते थे, वहीं इस विधेयक में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), महिला बीज समूह और पारंपरिक बीज-संरक्षण नेटवर्क जैसे सामुदायिक समूहों को व्यावसायिक इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। बड़ी कंपनियों की तर्ज पर ही उन पर भी बड़ी कंपनियों की तरह सरकारी प्रक्रियाओं और डिजिटल अनुपालन के नियम लागू होंगे। इसी तरह, बीज या पौध की किस्मों की कीमत तय किये जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के हस्तक्षेप का प्रावधान भी केवल कमी जैसी आपात स्थिति में ही है। इससे यह भी जाहिर होता है कि बीज की कीमत तय करने का अख्तियार उसी इकाई के पास होगा, जो इस कानून के तहत बीज या पौध की किस्म का पंजीकरण कराती है। विधेयक में मौजूद नया पंजीकरण कराने की जरूरत के चलते देशभर में कुटीर उद्योगों की तरह संचालित हजारों बीज दुकानें और नर्सरियां बंद होने को मजबूर हो जायेंगी। इसके अलावा, इस विधेयक में विस्तृत डिजिटल रिपोर्टिंग की भी मांग की गई है। क्यूआर कोड, ऑनलाइन जमा और लगातार निगरानी, कम इंटरनेट या डिजिटल समझ रखने वाले छोटे देहाती, बीज महफूज रखने वालों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। इसलिए खेती से जुड़े बड़े जनसमूहों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। इस विधेयक के अंतर्गत विदेशी संगठनों को वीसीयू (खेती और उपयोग के मूल्य) परीक्षण के लिए मान्यता देने की इजाजत होगी। इससे आनुवंशिक रूप से संशोधित या पेटेंट बीज केवल विदेशी आकलन के आधार पर ही भारत में दाखिल हो सकेंगे। विशेषज्ञों की राय है कि अगर बिना ठीक जांच-पड़ताल के आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीन-संपादित बीज मंजूर कर लिये गए, तो इन्सानों और जैविक पर्यावरण की सेहत को खतरे बहुत बढ़ जाएंगे और छोटे किसानों की माली हालत और कमजोर हो जाएगी। साथ ही, आईसीएआर और कृषि एवं सहयोग विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का भविष्य पीछे धकेल दिया जाएगा। फिर इस बात को भी प्राथमिकता दी जाएगी कि बीज व्यवसाय की इन सुविधाओं का निजी संचालक पूर्ण अधिग्रहण कर लें। इस विधेयक के माध्यम से भाजपा सरकार बीज क्षेत्र के संबंध में संघीय ढांचे में परिवर्तन करेगी, जो कृषि का एक आवश्यक घटक है और वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जहां तक किसानों का संबंध है, व्यक्तिगत किसानों को बीज विधेयक 2025 के दायरे से बाहर रखने के गंभीर परिणाम होंगे। बीज क्षेत्र का 80% निजी संचालकों को सौंपे जाने के बाद अज्ञानता या मजबूरीवश व्यक्तिगत किसान कम उपज देने वाली किस्मों तक ही सीमित रहेंगे, जबकि कॉरपोरेट द्वारा ज्यादा उपज देने वाली किस्में उत्पादित और बेची जाएंगी। यह भेदभाव छोटे और मझोले किसानों के बड़े हिस्से के हितों के लिए नुकसानदायक होगा।

नई लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं किसान

उपरोक्त चर्चा से साफ है कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने मेहनतकश किसानों की कीमत पर मुनाफाखोर एकाधिकारी पूंजीपति घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में बीज विधेयक 2025 पेश किया है। केंद्र की भाजपा सरकार का यह जनविरोधी और एकाधिकारी पूंजीपति-परस्त चरित्र दिन-ब-दिन उजागर होता जा रहा है। सरकार को तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने वाले दिल्ली के बॉडरों पर 13 महीने चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने वंचित किसानों में नया लड़ाकू जज्बा पैदा किया है। अब शासक पूंजीपति वर्ग और उसकी ताबेदार सरकारों की किसान-विरोधी और जनविरोधी सभी नीतियों के खिलाफ पीड़ित किसान लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि इस मामले में भी, वे एकजुट, संगठित और सतत संघर्ष का फिर एक नया इतिहास रचेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। ■

भूल सुधार

सर्वहारा दृष्टिकोण के पिछले अंक में गलती से नई बस्ती, किशनगंज, दिल्ली की पुरानी खबर और तश्वीर छप गयी थी। अनजाने में हुई इस गलती के लिए खेद है—संपादक, स. दृ.

PRGI Regn. No. 43022

गजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की कब्रों पर टूरिस्ट हब बनाने का मंसूबा

अमेरिका का अब तक का सबसे बुरा जुर्म

एसयूसीआई (सी)के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 23 जनवरी 2026 को जारी प्रेस बयान में कहा :

"पूरी दुनिया एकमत से अमेरिकी साम्राज्यवादियों के उस खतरनाक इरादे की निंदा करती है, जिसे उसके मध्य पूर्व मोर्चे के दफ्तर जायोनी इजराइल ने अंजाम दिया है। इसके नतीजे में गजा में महिलाओं और बच्चों समेत हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए और सभी घर, स्कूल और अस्पताल तबाह हो गए, जिससे वह जमीन मलबे का ढेर हो गई। इतने क्रूर फौजी हमले के बाद भी जो कुछ लोग जिंदा बचे हैं, उनसे भी अब पेंटागन के शासक पड़ोसी देशों में चले जाने और वह जमीन खाली कर देने के लिए कह रहे हैं ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका उस पर कब्जा कर सके और अपने बमों और गोलियों से मारे गए लोगों की कब्रों पर एक टूरिस्ट हब बना सके।

इस योजना को लागू करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी अब एक तथाकथित "बोर्ड ऑफ पीस" बनाने और दूसरे देशों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाने का कुख्यात प्रस्ताव लेकर आए हैं। यह इस सदी का सबसे बुरा जुर्म है। हम अमेरिकी साम्राज्यवादियों के गजा पर कब्जा करने के घिनौने इरादे की कड़ी निंदा करते हैं, जिसका नाम है "बोर्ड ऑफ पीस" बनाना और इस तरह फिलिस्तीनी लोगों के अपनी मातृभूमि की आजादी पाने के शानदार संघर्ष को नाकाम करना।

साथ ही, हम दुनिया के साम्राज्यवाद-विरोधी शांति पसंद लोगों से भी अपील करते हैं कि वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के इस नापाक कदम को नफरत से नकारें, संघर्षरत फिलिस्तीनियों के साथ मजबूती से खड़े हों और पेंटागन के शासकों को फिलिस्तीन पर गैर-कानूनी कब्जा करने का अपना मंसूबा छोड़ देने को मजबूर करने के लिए पूरी संजीदगी से दुनियाभर में एक मजबूत, सुसंगठित, साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तिशाली आंदोलन की अगुवाई करने के लिए एकजुट हों।"

घोर जनविरोधी, किसान-विरोधी और खेतमजदूर-विरोधी हैं केंद्रीय बजट 2026-27

एआईकेकेएमएस का देशव्यापी किसान आंदोलन खड़ा करने का आह्वान

नई दिल्ली : केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान और महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने 2 फरवरी को जारी एक संयुक्त प्रेस बयान में कहा :

भाजपा सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 पूरी तरह से जनविरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट-परस्त है।

बजट में किसान-खेत मजदूरों की मांगों को मानने की तो बात ही छोड़िए, उनका जिक्र तक नहीं किया गया है।

किसान लंबे समय से निम्नलिखित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं: 1) कृषि उपज के लिए उत्पादन लागत के डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करना और केंद्र सरकार द्वारा इसकी खरीद की गारंटी; 2) बैंक ऋण माफी; 3) बीज, खाद जैसी कृषि उपयोगी चीजों की सस्ती दर पर आपूर्ति; 4) बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोक और बिजली बिल-2025 की वापसी; 5) पूरे साल काम की गारंटी और 800 रुपये दैनिक मजदूरी आदि। कोई भी समझदार व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि किसान-खेत मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए इन मांगों को पूरा करना निहायत जरूरी है। लेकिन बजट आवंटन और उससे प्रकट होने वाले दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार किसान-खेत मजदूरों की मांगों को पूरा करने के लिए राजी नहीं है। मनरेगा की जगह जिस 'जी रामजी' कानून का सरकार इतना ढिंढ़ोरा पीट रही है, उसके बजट में 65.9 प्रतिशत की कटौती की गई है, जबकि इसके विज्ञापन पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है। पिछले बजट में 88,000 करोड़ रुपये की जगह इस बजट में मात्र 30,000 करोड़ रुपये आवंटन किया है। किसान-खेत मजदूरों के प्रति यह बजट खामोश है।

इस पर रोष व्यक्त करते हुए किसान संगठन के दोनों नेताओं ने कहा कि इस बजट आवंटन का उद्देश्य देश-विदेश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लालच को हर संभव तरीके से पूरा करना है। यह कहने की कोई खास जरूरत नहीं है कि यह बजट पूंजीवादी शोषण के नतीजतन हमारे देश में चल रही गरीबीकरण की प्रक्रिया को और तेज करेगा। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी व चौड़ी हो जाएगी। इसलिए, इस जनविरोधी, किसान-विरोधी बजट का विरोध करना हमारा अहम फर्ज बनता है।

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) देश-प्रदेश के मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों और जनवादी सोचवाले सभी मेहनतकशों से आगे आने और सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग और उसकी ताबेदार भाजपा सरकार के घिनौने मंसूबों का प्रतिरोध करने के लिए देशव्यापी जोरदार जन आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान करता है।

एआईयूटीयूसी ने की केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा और इसे आम मेहनतकशों के साथ सरासर धोखेबाजी करार दिया

केंद्रीय बजट 2026-27 पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 1 फरवरी को जारी प्रेस बयान में कहा :

"ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की अखिल भारतीय कमेटी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किये गए केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा करती है और इसे आम मेहनतकशों से सरासर धोखेबाजी करार देती है।

केंद्रीय बजट हमेशा की तरह, अपने भ्रामक और गुमराह करने वाले आंकड़ों की बाजीगरी और जुमलेबाजी की आड़ में घोर गरीब-विरोधी और एकाधिकारी पूंजीपति परस्त कोशिश का एक और बड़ा उदाहरण है।

बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 ने दुनिया के मौजूदा बदलते अशांत हालात में देश के खराब आर्थिक और औद्योगिक हालात को गंभीरता से माना है। लेकिन उस सर्वेक्षण रिपोर्ट के उलट, बजट आम लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि देश अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए दुनियाभर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसने न तो बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं पर ध्यान दिया है, न ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बदहाली पर, जिनमें आशा, आंगनबाड़ी (आईसीडीएस), मिड-डे-मील, एनआरएलएम वगैरह जैसी विभिन्न स्कीमों में काम करने वाली महिला मजदूर शामिल हैं। यह गरीब किसानों और खेत मजदूरों की दयनीय हालत को सुधारने के मामले में भी चुप है। यह दबे-कुचले लोगों की जिंदगी से घोर गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए कोई शब्द न लिखने में साफ है।

दूसरी ओर, बजट ने एकाधिकारी पूंजीपति घरानों को कई रियायतें और टैक्स में छूट दी। बजट सरकार की मूल नीति के मुताबिक था, जिसमें एकाधिकारी पूंजीपति घरानों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में सुगमता) और आम मेहनतकशों के लिए "ईज ऑफ डाइंग" (मरने में सुगमता) शामिल है, जो हमारे जैसे पूंजीवादी समाज का मिशन और विजन है।

एआईयूटीयूसी की अखिल भारतीय कमेटी केंद्रीय बजट को पूरी तरह से खारिज करते हुए मेहनतकशों से अपील करती है कि वे देश के शासक पूंजीपति वर्ग की ताबेदार सरकार की बुरी नीतियों और कदमों के खिलाफ बड़े आंदोलन करें। इसी क्रम में एआईयूटीयूसी देशभर के मेहनतकशों से 12 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल को पूरी तरह सफल बनाने की अपील करता है।"

दिल्ली में भयावह रूप से बढ़ता प्रदूषण: कारण और समाधान विषय पर सेमिनार

नई दिल्ली : दिल्ली में भयावह रूप से बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सिटीजन्स इनीशिएटिव की ओर से 1 फरवरी को हिंदी भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार में राजस्थान से आए हुए अरावली बचाओ आंदोलन के नेता कैलाश मीणा, क्लाइमेट और साइंस एक्टिविस्ट सौम्या दत्ता, वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी, एडवोकेट दीपिका जैन, रितु कौशिक और नवनीत कौर ने अपने विचार व्यक्त किए।

सभा के अंत में सुमन द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। सेमिनार के दौरान रमेश शर्मा, सोनी और उनके ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया।

सेमिनार का संचालन संध्या विश्वकर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सीता सिंह द्वारा किया गया।

नई पुस्तक प्रकाशित

पढ़ें और पढ़ायें

केंद्रीय बजट महिलाओं के लिए निराशाजनक – एआईएमएसएस

नई दिल्ली : केंद्रीय बजट 2026-27 पर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन(एआईएमएसएस) की महासचिव कॉमरेड छवि मोहंती ने 2 फरवरी को जारी प्रेस बयान में कहा :

"यह बजट समाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से महिलाओं के लिए निराशाजनक है। पिछले सभी बजटों की तरह यह बजट भी महिलाओं की असली जरूरतों को नजरअंदाज करता है। बजटीय प्रावधानों में सामाजिक न्याय, लिंग समानता और समाज के दबे-कुचले तबके की असली समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। बजट फ्रंटलाइन और इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों में महिलाओं की भलाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल रहा है।

महंगाई और बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में बजटीय प्रावधानों में लगभग कटौती की गई है। लखपति दीदी, SHE Marts जैसी तथाकथित महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास योजनाएं सिर्फ ऊपरी हैं। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्करों जैसे लाखों स्कीम वर्करों को बिना किसी सैलरी बढ़ोतरी के बेसहारा छोड़ दिया गया है। इसलिए एआईएमएसएस महिलाओं के सभी तबकों से केंद्रीय बजट को पूरी तरह से खारिज करने की अपील करता है।"

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**